न्यायालय सहायक कलक्टर फास्टट्रेक, दांतारामगढ जिला सीकर

आवेदन संख्या-- 1/2019

1. खेमचंद पुत्र श्री दलाराम जाति कुमावत निवासी ज्ञानदासपुरा तहसील दांतारामगढ

—आवेदक

बनाम

1. मोहरी पत्नि रामेश्वर
2. भोमाराम पुत्र रामेश्वर
3. छींतरमल पुत्र रामेश्वर
4. विनोद पुत्र छींतर
5. बबलू पुत्र छींतर
6. सुभाष पुत्र भोमा
7. नवलकिशोर पुत्र जवाहरमल
8. मूलचंद पुत्र जवाहरमल

समस्त जाति कुम्हार निवासीगण ज्ञानदासपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—अप्रार्थी/अनावेदकगण

आवेदन अं0 धारा 151 सीपीसी

निर्णय दिंनाक :– 14.05.2019

1. आवेदन मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार सें है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 764 रकबा 0.36 है0, खसरा नम्बर 765 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 782 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर 783 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 784 रकबा 0.77 है0, खसरा नम्बर 785 रकबा 0.68 है0 खसरा नम्बर 786 रकबा 0.28 है0 खसरा नम्बर 787 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 788 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 789 रकबा 0.43 है0, खसरा नम्बर 790 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 792 रकबा 0.14 है0 , खसरा नम्बर 793 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 795 रकबा 0.19 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 4.45 है0 तन ग्राम ज्ञानदासपुरा पटवार हल्का दांता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर मे अवस्थित है। इन भूमियों पर पक्षकारान ने आपसी सहमति से बाहमी बंटवारा कर रखा है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 783, 788 की

सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)
दाँतारामगढ़(सीकर)

...र्ण भूमि प्रार्थी के हिस्से में आई हुई है। अनावेदकगण प्रार्थी को विवादित आराजियात सें बेदखल करने पर आमादा है तथा आये दिन लड़ाई झगड़ा करते रहते है अतः अनावेदकगणों को विवादित स्थ्ज्ञल पर अप्रार्थीगण द्वारा किये गये निर्माण को उनके खर्चे सें हटवाया जाकर दावा दायरी के समय की स्थिति बहाल किया जाना तथा वर्तमान भौतिक स्थिति यथावत रखना प्रार्थनीय है।

2. आवेदक के आवेदन अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पर बहस बकुलाय सुनी गई। आवेदन अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी व अप्रार्थीगण संख्या 1ता5 व 7, 8 द्वारा पेश जवाब आवेदन अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी की ओर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों को पढा गया अवलोकन किया गया और मनन किया गया।

3. अप्रार्थीगण की ओर सें पेश जवाब आवेदन पद संख्या एक में अप्रार्थीगण का कथन है कि आवेदन में यह कहीं नहीं बताया कि न्यायालय में दावा उदघोषणा बंटवारा स्थायी निषेधाज्ञा एवं रिकोर्ड दुरूस्ती का किस उनवान का है एवं कौन सें खसरा नम्बर एवं मुकदमा नम्बर का विचाराधीन है तथा न ही आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा के बारे में खुलासा किया गया है व अनावेदकगण की जानकारी में माननीय न्यायालय में मुकदमा नम्बर 5/17 बउनवानी खेमचन्द बनाम छींतर व अन्य विचाराधीन जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23.08.2017 को खारिज हो गया तथा दावा के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा 212 आरटीएक्ट मुकदमा नम्बर 5/17 बउनवानी खेमचंद बनाम छींतर आदि भी दिनांक 23.08. 2017 को खारिज हो गया अस कारण सें आवेदन अं धारा 151 सीपीसी खारिज होने योग्य है।

4. अप्रार्थीगण द्वारा पेश जवाब आवेदन अं0 धारा 151 सीपीसी में वर्णित कथन असत्य प्रतीत होता है। क्योंकि आवेदन अंतर्गत धारा 151 सीपीसी पर न्यायालय हाजा लिपिक रिपोर्ट संख्या 5 दर्शाता है कि न्यायालय में पूर्व में दावा व आवेदन 212 आरटीएक्ट चल रहा है जिस पर आवेदन में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बरों पर ही केविएट दर्ज है।आवेदक के आवेदन में वर्णित मद संख्या 1 सत्य प्रतीत है अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 व 7, 8 की ओर सें पेश दस्तावेज की फोटोप्रतियों सें मालूम होता है कि पूर्व मे न्यायालय हाजा द्वारा मुकदमा नम्बर 5/17 दावा व मुकदमा नम्बर 5/17 आवेदन 212 आरटीएक्ट अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया गया था। जो आवेदन अं धारा 151 सीपीसी में वर्णित भूमियों का ही था मगर न्यायालय न्याय दर्शाती है िकइस स्थिति में खारिज किया गया वाद पुनः न्याय हेतु पेश कर सकता है। अप्रार्थीगण द्वारा कोई भी रजिस्टर दस्तावेज पेश नहीं किया। आवेदन में आवेदक के हित निहित को देखते हुए आवेदन अंतर्गत धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

आवेदन अंतर्गत धारा 151 सीपीसी में वर्णित कृषि भूमियां खसरा नम्बर 764 रकबा 0. 36 है0, खसरा नम्बर 765 रकबा 0.41 है0, खसरा नम्बर 782 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर 783 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 784 रकबा 0.77 है0, खसरा नम्बर 785 रकबा 0.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दाँतारामगढ़ (सीकर)

...0 खसरा नम्बर 786 रकबा 0.28 है0 खसरा नम्बर 787 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 788 रकबा 0.17 है0, खसरा नम्बर 789 रकबा 0.43 है0, खसरा नम्बर 790 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 792 रकबा 0.14 है0 , खसरा नम्बर 793 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 795 रकबा 0.19 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 4.45 है0 तन ग्राम ज्ञानदासपुरा पटवार हल्का दांता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर पर इस आशय के स्थगन आदेश दिये जाते है कि उभयपक्ष दौराने दावा कोई नव निर्माण नहीं करें।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर बाद दाखिल दफतर हो।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दाँतारामगढ़ (सीकर)
सहायक कलक्टर फार्स्टट्रेक, दांतारामगढ